# न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

**विभागीय अपील संख्या 04 / 2017**

| अपीलार्थी | बनाम | प्रत्यर्थी |
|---|---|---|
| श्री बाबूलाल मीणा, पटवारी<br>फतेहगढ, तहसील फतेहगढ<br>जिला जैसलमेर | | जिला कलेक्टर (भू.अ.) जैसलमेर |

अपील अन्तर्गत नियम, 23 राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर (भू.अ.) जैसलमेर कमांकःप.1(17)(3)भू.अ. / 15 / 4486 दिनांक 26.10.16 द्वारा प्रार्थी को परिनिंदा के दण्ड से दण्डित करने बाबत।

## निर्णय

दिनांक 17 .08.2022

1. यह अपील श्री बाबूलाल मीणा पटवारी फतेहगढ, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर ने जिला कलेक्टर(भू.अ.) जैसलमेर के आदेश कमांक प.1(17)(3)भू.अ. / 15 / 4486 दिनांक 26.10.2016 के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के तहत प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट तहसील फतेहगढ के हल्का फतेहगढ में कार्यरत रहते बिना सूचना / अवकाश स्वीकृत कराये दिनांक 04.09.15 से स्वैच्छिक अनुपस्थित रहने के कारण राजकीय कार्य प्रभावित होने से विद्वान जिला कलेक्टर (भू.अ.) जैसलमेर ने अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत जांच कार्यवाही सम्पन्न करने के उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2016 के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध लगाये गये आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होना मानते हुए परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया।
3. जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक जांच कार्यवाही संस्थित कर ज्ञापन कमांकःप.1(17)(3)भू.अ. / 15 / 4355 दिनांक 05.10.2015 के द्वारा आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी किया गया। आरोपित आरोप का विवरण निम्नानुसार है :–

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

आरोप संख्या 1–

यह कि आप श्री बाबूलाल पटवारी फतेहगढ़ तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 04.09.2015 से बिना कोई अवकाश स्वीकृत करवाए एवं बिना किसी सूचना के अपने राजकीय कर्त्तव्य से अनुपस्थित चल रहे है। आपकी स्वैच्छिक अनुपस्थिति से राजकीय कार्य प्रभावित हुआ है। इस प्रकार आप नियमानुसार अवकाश स्वीकृत नही करवाकर अपने राजकीय कर्त्तव्य से स्वैच्छा से अनुपस्थित रहे है, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

4. अपीलाण्ट द्वारा उक्त उल्लेखित ज्ञापन व आरोप पत्र का प्रत्युत्तर दिनांक 04.11.2015 को मार्फत तहसीलदार प्रस्तुत किया गया। जिसमें मुख्यतः यह आग्रह किया गया कि दिनांक 03.06.2015 को उसका पाव फिसल जाने के कारण फेक्चर हो गया था। फतेहगढ में उपचार एवं देखभाल की व्यवस्था नही होने के कारण उसे अचानक दौसा जाना पडा। उक्त दुर्घटना की जानकारी उसके द्वारा भू.अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार फतेहगढ को दूरभाष पर देने का प्रयास किया गया, किंतु टावर की अव्यवस्था के कारण वार्ता नही हो सकी। जिस पर उसके पडौसी विद्युत विभाग के कार्मिक के साथ इसकी सूचना तहसील कार्यालय में भिजवा दी गई थी। सामान्य चिकित्सालय दौसा के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी रोग प्रमाण पत्र दिनांक 04.09.15 से 25.10.15 (52) दिवस, जिसमें उसे अपने कार्यभार पर उपस्थिति के लिए दिनांक 26.10.15 को फिट करार दिया है, के अनुसरण में उसके द्वारा उक्त दिनांक को कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति दे दी गई। अतः उपर्युक्त कारणों से उसके विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त करने का आग्रह किया गया।

5. तत्पश्चात जिला कलेक्टर (भू.अ.) सिरोही के पत्रांक प.1(17)(3)भू.अ./15/3816 दिनांक 04.10.2015 के द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार फतेहगढ से तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गई। तहसीलदार फतेहगढ ने अपने प्रतिवेदन कमांक 1920 दिनांक 28.9.16 के अनुसार मुख्यतः यह निवेदन किया गया कि आरोपी कार्मिक–श्री बाबूलाल पटवारी को उनके कार्यालय से अनुपस्थिति बाबत नोटिस कमांक 1176 दिनांक 15.9.15 को जरिये डाक प्रेषित किया गया था। जिसका जवाब दिनांक 16.10.2015 को तहसील कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें श्री बाबूलाल द्वारा फैक्चर होने से इलाज हेतु अवकाश चाहा गया। इनके पडौसी विद्युतकर्मी श्री अमन द्वारा पटवार घर की चाबी व उक्त सूचना दिनांक 08.09.15 को भू.अभिलेख निरीक्षक फतेहगढ को दी गई थी व इससे पूर्व दिनांक 7.9.15 को श्री बाबूलाल द्वारा भू.अभिलेख निरीक्षक फतेहगढ से हुई दूरभाष वार्ता की जानकारी भी तहसील कार्यालय में दिनांक 9.9.15 को भू.अ.निरीक्षक फतेहगढ द्वारा दी गई। अतः प्रकरण

अतिरिक्त कमिश्नर

में प्रस्तुत जवाब को उचित प्रतीत होना मानते हुए तहसीलदार फतेहगढ द्वारा नियमानुसार अवकाश स्वीकृत किये जाने की मंशा व्यक्त की गई।

6. दौरान सुनवाई अपीलाण्ट ने अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि उसके साथ घटित दुर्घटना की जानकारी उसके द्वारा समय–समय पर प्रकट गई थी एवं उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के दौरान प्रस्तुत जवाब के साथ चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे परिनिंदा के दण्ड से मुक्त करावे।

7. प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय पैराकार अनुपस्थित रहने के कारण हमने उक्त अपील प्रकरण में जिला कलेक्टर(भू.अ.) जैसलमेर के पत्रांकःप.1(17)(3)भू.अ./15/1388 दिनांक 01.05.17 द्वारा प्रेषित टिप्पणी व उसके संलग्न मूल पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि अपीलाण्ट द्वारा सामान्य चिकित्सालय दौसा के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी रोग प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 04.09.15 से 25.10.15 (52) दिवस का चिकित्सकीय कारणों से अवकाश उपभोग किया है। इसके अतिरिक्त अपीलाधीन आदेश में स्वयं जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा उल्लेखित कि अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब के कम में तहसीलदार फतेहगढ की टिप्पणी के अनुसार "अपीलाण्ट के पड़ौसी विद्युतकर्मी श्री अमन द्वारा पटवार घर की चाबी व उक्त सूचना दिनांक 8.9.15 को भू.अभिलेख निरीक्षक फतेहगढ को दे दी गई थी व इससे पूर्व दिनांक 7.9.15 को श्री बाबूलाल द्वारा भू.अभिलेख निरीक्षक फतेहगढ से हुई दूरभाष वार्ता की जानकारी भी तहसील कार्यालय में दिनांक 9.9.15 को भू.अ.निरीक्षक फतेहगढ द्वारा दी गई थी, जो स्वीकारोक्त तथ्य है। अतः ऐसी स्थिति में विद्वान जिला कलेक्टर द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध लगाये गये आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित होना मानते हुए परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया जाना आनुपातिक दृष्टि से अधिक होना प्रतीत है।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.10.2016 को निरस्त किया जाता है। अपीलाण्ट को लिखित चेतावनी दी जाकर, उसके द्वारा प्रस्तुत दुर्घटना अवधि का अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17 अगस्त, 2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

17.8.22

(कैलाश चन्द्र मीना)
डिवीजनल कमिश्नर
डिवीजनल कमिश्नर
जो. पुर
जोधपुर